कितनी धनराशि राजसहायता के रूप में दी गई ; और

(ग) सरकार भविष्य में इस राशि को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम को (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच अंतर अर्थात उपभोक्ता राजसहायता ; (ii) बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्य राजसहायता प्रदान करती है। खाद्य राजसहायता की राशि की मात्रा उठान, खाद्य स्टाक और भाड़ा, ब्याज प्रभारों आदि जैसे अन्य तथ्यों तथा खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य पर निर्भर करती है ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को अदा की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार थी :—

वर्ष	खाद्य राज-सहायता की राशि (करोड़ रुपए में)
1986-87 . .	2000
1987-88 . .	2000
1988-89 . .	2200

स्टाफ की संख्या में कमी करने, भारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने, किराए के अलाभकारी और फालतू गोदामों को त्यागने आदि जैसे उपाय कर भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत को कम करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं ।

खाद्य तिलहनों की पिराई की क्षमता

@*32क. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमल नी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष खाद्य तेलों के उत्पादन का एक नया रिकार्ड स्थापित हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन अपर्याप्त होने का कारण देश में तिलहनों की पिराई की क्षमता का कम होना तथा पिराई की मशीनरी आधुनिक न होना है ;

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग का आधुनिकिकरण करने तथा इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई प्रोत्साहन नहीं दिए जा रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) उद्योग की समग्र पिराई क्षमता देश में तिलहनों के कुल उत्पादन को खपाने के लिए पर्याप्त है ।

(ग) सरकार ने तेल पिराई उद्योग को अपग्रेड करने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर पर कुछ उपकरण आयात करने की अनुमति दी हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Loopholes and Flaws in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987

*33. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some Women's Organisations have brought to the notice of Government some loopholes and flaws in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987; and

@पूर्वत: तारांकित प्रश्न 74, 28 दिसम्बर, 1989 से स्थानान्तरित ।